राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4898/2022

महेश कुमार —**अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, सीकर।
4. कैलाश चन्द अग्रवाल, प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गुमान सिंह गोडावास, सीकर।

—**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.09.2022
आदेश की दिनांक : 09.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के.सिंगोदिया, अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– एम. एस. काला, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मनसा जोहडी, तारपुरा पंचायत समिति पीपराली, जिला सीकर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चक संतरा, बाड़मेर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.01.2022 के द्वारा महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मनसा जोहडी, तारपुरा, पीपराली,

सीकर पदस्थापित किया गया था। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 09.01.2022 को कार्यग्रहण किया और 8 माह की अल्पावधि में ही आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए उसे आदेश दिनांक 23.09.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया और आदेश दिनांक 10.10.2022 के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चक संतरा, बाडमेर पदस्थापित कर दिया गया, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 23.09.2022 (अनुलग्नक–3) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि उक्त आलोच्य आदेश की निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा पालना की जा चुकी है। अपीलार्थी का पदस्थापन महात्मा गांधी विद्यालय में साक्षात्कार के आधार पर हुआ है, ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसमें किसी भी नियमों का उल्लंघन होना दर्शित नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्रधानाचार्य के पद पर महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मनसा जोहडी, तारपुरा पंचायत समिति पीपराली, जिला सीकर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए. आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहां तक अपीलार्थी का चयन महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किए जाने तथा वहां से स्थानान्तरण किए जाने का प्रश्न है, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने पत्रावली पर ऐसी कोई चयन सूची प्रस्तुत नहीं की कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अपीलार्थी का चयन महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में किया गया है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में हम कोई बल होना नहीं पाते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(एम. एस. काला)
सदस्य